पत्रांक : योजना बजट–07 / 2014.. / प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक : ....

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न पथों तथा पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य स्थानों पर छायादार पौधा लगाने तथा राजधानी वाटिका में गुलाब गार्डेन की स्थापना हेतु पथ तट फार्म योजनांतर्गत कुल योजना राशि 330.579 लाख (तीन करोड़ तीस लाख सन्तावन हजार नौ सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक एवं इसके तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 245.46 लाख (दो करोड़ पैतालीस लाख छियालीस हजार रू०) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक शहरी वानिकी योजना के तहत् संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप वन प्रमंडल, औरंगाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुँगेर एवं पटना के विभिन्न पथों तथा पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर एवं अन्य स्थानों पर छायादार पौधा लगाने तथा राजधानी वाटिका में गुलाब गार्डेन की स्थापना हेतु पथ तट फार्म योजनांतर्गत कुल योजना राशि ₹ 330.579 लाख (तीन करोड़ तीस लाख सन्तावन हजार नौ सौ ₹) मात्र की प्रशासनिक एवं इसके तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 245.46 लाख (दो करोड़ पैतालीस लाख छियालीस हजार रू०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष– 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष– 01– वानिकी, लघु शीर्ष– 800– अन्य व्यय, मांग संख्या– 19, उप शीर्ष– 01 05– पथ तट फार्म, विपत्र कोड पी०2406018000105 के विषय शीर्ष– 02 01 मजदूरी, 27 01 लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष– 01– वानिकी, लघु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या– 19, उप शीर्ष– 01 03– पथ तट फार्म, विपत्र कोड पी०2406017890103

के विषय शीर्ष– 02 01– मजदूरी के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुँगेर एवं पटना होगें तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। इस राशि का व्यय उपलब्ध उद्व्यय एवं उपबंधित राशि के अंतर्गत ही किया जायेगा।

4. इस राशि से संबंधित योजना के क्रिर्यान्वयन होने समय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर पर ही हो।

5. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 की कार्यवाही ज्ञापांक 1755, दिनांक 09.06.2015 द्वारा इस योजना प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा तथा संचिका के पृष्ट 13/टि० पर दिनांक 15.06.2015 को प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

6. प्रारूप में संचिका के पृष्ठ 15/टि० पर दिनांक 22.06.2015 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना (संलग्न परिशिष्ट–1) में दर्शाया गया प्राक्कलन के अनुरूप ही इन योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए इस योजना के क्रियान्वयन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न सभी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने

तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर कायों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा कराया जायेगा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना का होगा। आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : योजना बजट–07/2014 1823 /प०व० **पटना–15, दिनांक** : 22/06/15

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी०(मैनेजर)/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट -1 (110)

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार।

शहरी वानिकी (वर्षाकालीन)

मजदूरी दर– 194 प्रति मानव दिवस

वन प्रमंडल का नाम	स्थल का नाम	कुल पौधों की संख्या	प्राक्कलित राशि			कुल राशि
			2015-16	2016-17	2017-18	
1	2	3	4	5	6	7
औरंगाबाद	पुरानी जी.टी.रोड अदरी नदी से बासेखाप रधौलिया तक	2800	3083728	775600	0	3859328
	जी.टी.रोड देव मोड से देव मंदिर	2800	3083728	775600	0	3859328
	योगः–	**5600**	**6167456**	**1551200**	**0**	**7718656**
बेगूसराय	एच० एफ० सी० बरौनी	5000	5230000	1250000	0	6480000
	पुलिस लाईन खगड़िया	200	539360	9800	33000	582160
	सदर अस्पताल खगड़िया	50	52300	12500	0	64800
	योगः–	**5250**	**5821660**	**1272300**	**33000**	**7126960**
समस्तीपुर	दलसिंहसराय प्रक्षेत्र अंतर्गत प्रखंड सह अस्पताल सह अंचल परिसर	1200	1014466	569280	71410	1655156
	समस्तीपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय	1000	1014466	569280	71410	1655156
	योगः–	**2200**	**2028932**	**1138560**	**142820**	**3310312**
मुंगेर	सफियावाद से रामनगर थाना चेक पोस्ट तक	1000	1261000	291750	291750	1844500
	अम्बेदकर चौक से अनुमंडल होते हुए जटातरी तक	1000	1261000	291750	291750	1844500
	योगः–	**2000**	**2522000**	**583500**	**583500**	**3689000**
पटना	लौह गैबियन वृक्षारोपण	1050	3534659	565793	608160	4708612
	बड़े सीमेंट गमला में वृक्षारोपण कार्य तथा बोरिंग रोड पर गमले स्थिर का वृक्षारोपण	300	1277650	193155	205260	1676065
	कॉलर बॉस में बड़े पौधों का वृक्षारोपण	200	323964	97770	105840	527574
	खण्ड वृक्षारोपण (बॉस धेरान)	750	1023738	362888	396900	1783526
	पटना उच्च न्यायालय परिसर तथा अन्य सरकारी परिसरों में पौधारोपण	1200	808389	344640	327120	1480149
	पौधे जिनके चारों ओर पेवर्स ब्लाक कंकीट या सड़क के हिस्से को तोड़कर अच्छी मिट्टी भरना	0	89500	0	0	89500
	राजधानी वाटिका में गुलाब गार्डेन बनाने का खर्च	0	947548	0	0	947548
	योगः–	**3500**	**8005448**	**1564246**	**1643280**	**11212974**
	कुल योगः–	**18550**	**24545496**	**6109806**	**2402600**	**33057902**
					या	**33057900**

(रूपये तीन करोड़ तीस लाख संतावन हजार नौ सौ) मात्र

रू० 330.57900 मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्रदान की जाती है।

(हस्ताक्षर) 8/6/15
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।

(हस्ताक्षर) 8/6/15
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
बिहार, पटना।

(हस्ताक्षर) 24/6/15
उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

E:\SHASHI BUDGET\FINANCIAL YEAR 2015-16\Chhtra Briksha ropan yojna 2015-16 (AAgam nirgam, CBRY, HPHP)